श्री सभापति : वह सब बता दिया है।

श्री संजय निरुपम : लैंड लाइन से सेल्युलर पर फोन करने का धंधा खत्म हो रहा है तो कैसे पीसीओ चलेंगे ?

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री अरुण शौरी: सर, जो पीसीओज की प्राब्लम्स हैं, उनके बारे में मैं एसोसिएशन्स से भी मिल रहा हूं। अभी महाराष्ट्र से शिव सेना के रिप्रेजंटेटिब्ज़ आये थे। जो handicapped लोग पीसीओ चलाते हैं, उनके लिए we are making special packages so that their business can be sustained. इस पर मैं पूरा काम करूंगा।

श्री एस. एम. लालजन बाशा: एक कमेटी बुलाकर इस पर ...( व्यवधान )...

श्री सभापति : अब बीच में खड़े होकर कोई कमेटी नहीं बुला सकते।...बैठिए। रिकार्ड मत करिए। डा॰ दसारी नारायण राव।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, in Andhra Pradesh, a large number of BSNL customers receive their telephone bills late. By the time they receive their bills, their phones are disconnected. When they approach the officials, they say, "You come to the office and collect the bills." It is ridiculous. I would like to ask the hon. Minister, what is he going to do in this regard?

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, I would request the hon. Member to please first understand the procedure. It is not that way. If the bills are dispatched late, then, the date, by which the bills have to be paid, is also extended correspondingly. Second point is, if the bill is not paid in time, there are four stages, before a phone is disconnected. A phone is disconnected only after the 35th day of issue of the bills. उसके बाद पहले सिर्फ outgoing calls disconnect की जाती हैं Incoming calls continue to come for another 15 days. Only outgoing call facility is disconnected first. If even after the lapse of 15 days, a customer has not paid his bill, that means, thirty-five plus fifteen, after fifty days....(Interruptions)....

श्री सभापति : वह तो सब रूल्स में लिखा हुआ होगा।

SHRI ARUN SHOURIE: ... Only then a phone is disconnected. And, Sir, we are certainly attending to this problem.

## **CBI** cases

\*664. SHRI SWARAJ KAUSHAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of CBI cases decided during the last three years;

- (b) the number of persons tried in those cases; and
- (c) the number of persons acquitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND DEPARTMENT OF SPACE: (SHRI SATY ABRATA MOOKHERJEE): (a) The number of cases decided by the trial courts during the last three calendar years 2000, 2001 and 2002 was 509, 448 and 673, respectively.

- (b) 1315, 1398 and 1817 persons, respectively, were tried in those cases.
- (c) 359, 360 and 510 persons, respectively, were acquitted in those cases.

SHRI SWARAJ KAUSHAL: Sir, from the reply, as given by the hon. Minister, it is quite clear that as many as 4,530 persons had been prosecuted. And, out of these 4,530 person, 1,229 persons had been acquitted, which means more than 25 per cent persons had been acquitted. I would like to know from the hon. Minister as to which year did these cases belong, so that one can take into account the mental agony that these more than 25 per cent people had faced as a result of prosecution.

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, many of them are very old cases. Because, first there is an investigation; then, proceedings are started in the court; then, interim orders are obtained. So, by the time the cases come up for actual trial, a number of years would have already lapsed in the meantime. It is not possible to say as which particular year these cases belong to. (Interruptions).

SHRI SWARAJ KAUSHAL: You just tell me about the oldest case.

MR. CHAIRMAN: Next supplementary. (Interruptions) माननीय मंत्री महोदय, में आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं कि भारत सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि करप्शन के केसिज में acquittal ज्यादा होता है और सजा कम होती है, इसके क्या कारण हैं इस संबंध में अगर अध्ययन किया हो तो बता दीजिए।

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, so far as the last three years are concerned, in 2000, the conviction was in 71.3 per cent cases. (Interruptions).

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है... (व्यवधान)

प्रधान मंत्री ( श्री अटल बिहारी वाजपेयी ) : सभापति महोदय, acquittal का एक कारण तो यह हो सकता है कि वे व्यक्ति दोषी नहीं थे. निर्दोष थे इसलिए छट गए।

श्री सभापति : अब दूसरा सवाल यह खड़ा हो सकता है कि अगर वे निर्दोष थे तो चालान

क्यों किया गया ?... ( व्यवधान )... आप लोग बैठिए। ... ( व्यवधान )... ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर यूं खड़े होने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट, बैठिए।

श्री सुरेश पचौरी: एक सवाल यह भी हो सकता है कि ... ( व्यवधान )... और भाई ने भाई को बचा लिया। ... ( व्यवधान )...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, इसका दूसरा भी कारण है और वह यह है कि शायद पैरवी ठीक तरह से नहीं की गयी थी। कारण और भी मिल सकते हैं। अगर आप इस संबंध में निदेश दें तो हम सारे कारणों को … ( व्यवधान ) …

श्री सभापति : निर्देश नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा इस करप्शन का इलाज करने के लिए। जब-जब करप्शन के केसिज़ कोर्ट में गए हैं, उनमें से acquittal ज्यादा क्यों हुए हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं ? क्या कानून में खामी है या पैरवी करने में कोई कमी रही है।

श्री लालु प्रसाद : उनको फंसाया जाता है।

श्री सभापति : अगर कमी है तो उसका आप विचार कर लें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, अगर कोई विशिष्ट मामला हो...

श्री सभापति: मैं विशिष्ट मामले का ज़िक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि करप्शन केसेज़ में लोगों की एक धारणा बन गई है कि कोर्ट में चालान कर दो और सजा नहीं होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यह धारणा ठीक नहीं है।

श्री सभापति : ठीक है।

SHRI SWARAJ KAUSHAL: Sir, I want to take advantage of the hon. Prime Minster's presence here. Sir, the second part of my supplementary is this. The cases take a long time to decide, they might take about 20 years, 25 years, and sometimes, even 30 years. But when raids take place and some recoveries are made, some statements, some information is leaked out to the Press. This information does not at all tally, when the cases actually go to the Court, with the result, the cases take a long time, but the reputation of the man is destroyed the same day. I want the hon. Prime Minister to assure that, in future, for the sake of credibility of the CBI, for the sake of the reputation of citizens only actual, true and correct information will be given in regard to recoveries.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापित जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अगर छापे जैसे कोई कदम उठाए जाते हैं तो उनके बारे में समाचार-पत्रों में खबर नहीं जानी चाहिए लेकिन खबरें जाती हैं और समाचार-पत्रों के अपने स्रोत होते हैं। अधिकारियों से लगातार यह बात कही जा रही है कि आप इस तरह की खबरें बाहर भेजकर किसी की प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकते लेकिन वे मना करते हैं। मैं समझता हूं कि यह कठिनाई है और इसका उपाय करना पड़ेगा।

श्री सभापति : प्रो. रामगोपाल यादव, बोलिए। ... ( व्यवधान )...

श्री प्रेम गुप्ता : प्रधान संत्री बी, अगर एक के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा तो...

श्री सभापति : प्रेम गुप्ता जी, आप बैठिए। रामगोपाल जी, पृष्ठिए।

प्रो. रामगोपाल यादव: सर, सी.बी.आई. बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है लेकिन यह देखने में आया कि कुछ मामलों में यह बहुत प्रो-ऐक्टिव होती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मानतीय लालू जी के मामले में कुछ सी.बी.आई. के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सेना बुलाने की मांग की थी। क्या कभी गवर्नमेंट ने इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के बारे में सोचा भी है? कार्यवाही करनी तो दूर है! क्या यह सच है कि सेना को बुलाने की मांग की गई थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इसको रिफ्यूज कर दिया था? अगर यह सच है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सभापति : यादव जी, यह बिलकुल एक सेपरेट क्वेश्चन है और लालू जी से ... (व्यवधान)... ठहरिए आप, ठहरिए। यह सेपरेट क्वेश्चन है, लालू जी से संबंधित है।... (व्यवधान)...

प्रो. रामगोपाल यादव : सर, यह सी.बी.आई. के इनवेस्टिगेशन से संबंधित है।

श्री सभापति : सी.बी.आई. से संबंधित होगा लेकिन यह बिलकुल सेपरेट क्वेश्चन है। आप इसमें लाल जी को इनकॉल्व मत कीजिए।... ( व्यवधान )...

श्री लालू प्रसाद: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान कल के जनसत्ता में छपी एक खबर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ''न्यायमूर्ति सोढ़ी को सी.बी.आई. के अधिकारी ने धमकाया—जेठमलानी''—इन्होंने इसमें लिखा है कि एक अफसर ने एक हाई कोर्ट के जज को केस में influence करने के लिए धमकाया और सुप्रीम कोर्ट में भी जज सोढ़ी जी ने इस बात को स्वीकार किया है। इस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका—ये तीनों जो ओवरलैप कर रही हैं और जो इस तरह की बात आई है, क्या आपका ध्यान इस तरफ गया है? अगर गया है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने न्यायपालिका के एक जज को influence करने के लिए टेरराइज किया, जो कि जनसत्ता में छपा है, आपने कौन सी कार्यवाही की है अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो आप क्या इसकी जांच कराएंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।

**श्री सभापति** : मुश्किल है आपके लिए, बिलकुल सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और आप समझ रहे हैं मेरी मुश्किल!

श्री सभापति: ये भी समझ रहे हैं, पूरा हाऊस समझ रहा है। ... ( व्यवधान )... लालू जी, देखिए, आपने बता दिया है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। ... ( व्यवधान )...

श्री लालू प्रसाद : मैंने क्या किया, यह अखबार में ....

श्री सभापति : अखबार में छपा है, ठीक है ... ( व्यवधान ) ...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, राम जेठमलानी जी माननीय सांसद है और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं...

श्री सभापति : वह ठीक है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।... ( व्यवधान )...

श्री लालू प्रसाद : यह अखबारों में छपी हुई बात है, इसको समझना चाहिए आपको!

श्री सभापति : लालू जी, यह संभव नहीं है कि अखबारों में जो छपे उसका जबाब देने के लिए उसी दिन मंत्री आ जाएं। यह संभव नहीं है। आपने आज ही तो कहा है।

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, ये इसे देखें और देखकर कार्रवाई करें।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, एक मिनट-एक मिनट।

श्री सभापति : कोई एक मिनट नहीं । नेक्सट क्वेश्चन ।

## उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बकाया देय राशि

\*665. श्रीमती प्रेमा करियप्पा: † †

श्री मोती लाल वोरा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का अभी तक चीनी मिलों पर कितना बंकाया है और उसमें पिछले वर्ष का देय कितना है;
- (ख) उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी व सरकारी चीनी मिलें कितनी हैं और इनमें से कितनी मिलें चल रही हैं;
- (ग) किसानों को गन्ने का भुगतान किस दर पर किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा चीनी मिलों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;
- (घ) क्या सरकार को किसानों का पूरा गन्ना न खरीदे जाने की कोई शिकायतें मिली हैं; और

<sup>† 🕀</sup> सभा में यह प्रश्न श्रीमती प्रेमा करियप्पा द्वारा पूछा गया।